भारतीय जीवन बीमा निगम,

प्रधान मंत्री जन धन योजना
के तहत जन-धन खाताधारकों
के लिए रु.30,000/- के
जीवन बीमा सुरक्षा के
दावा निपटारा हेतु प्रक्रिया

प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत
बैंकों के लिए दावा जोखिम प्रक्रिया

विषय-सूची

क. प्रस्तावना

ख. परिभाषाएं

ग. योजना के अंतर्गत लाभ

घ. पात्रता की मूलभूत शर्तें

ङ. अपात्र श्रेणियां

च. योजना से निर्गमन

छ. दावा निपटारा प्रक्रिया

ज. मृत्यु दावा सूचना की प्राप्ति पर बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

झ. दावा सूचना की प्राप्ति पर जीवन बीमा निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

ञ. अनुलग्नकों की सूची

प्रधान मंत्री जन-धन योजना की दावा जोखिम प्रक्रिया

प्रस्तावना

माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में वित्तीय समावेश के एक व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को लक्षित किया गया था, जो वर्तमान में प्राथमिक वित्तीय सेवाओं से भी वंचित हैं। प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) में ऐसे प्रत्येक परिवार को एक मूलभूत बैंक खाता उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है, जिनके पास अब तक कोई खाता नहीं था। यह बैंक खाता रुपे डेबित कार्ड के साथ मिलता है इसमें एक लाख रुपए की अंतर्निहित दुर्घटना बीमा सुरक्षा है।

नई दिल्ली में 28.08.14 को पीएमजेडीवाई के शुभारंभ के दौरान माननीय प्रधान मंत्री ने उन सभी लोगों के लिए रूपे कार्ड के साथ 30,000/- रुपए की एक जीवन बीमा सुरक्षा की घोषणा की, जो 15 अगस्त, 2014 से 26 जनवरी, 2015 तक अवधि के दौरान पहली बार बैंक खाता खोलते हैं।

इस 30,000/- रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा को प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जीवन सुरक्षा कहा गया है, जो किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक परिवार को जीवन बीमा सुरक्षा देने का काम करेगी। इस योजना का उद्देश्य, उन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है, जो प्रत्यक्ष बीमा नहीं करा सकते, नामत: शहरी और ग्रामीण निर्धन, जो किसी सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत बीमित नहीं हैं।

ख. परिभाषाएं

पीएमजेडीवाई	-	प्रधान मंत्री जन धन योजना
एचओएफ	-	परिवार का मुखिया
रूपे कार्ड	-	पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए बीएसबीडीए खाते के साथ-साथ बैंक द्वारा जारी किया गया डेबिट कार्ड

आधार कार्ड	-	यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया गया बायो-मेट्रिक कार्ड
आईटी एक्ट, 1961	-	आय कर अधिनियम, 1961, भारत सरकार
आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)	-	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा योजना, जो स्थायी और आंशिक विकलांगता लाभों के अलावा, दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर 75,000/- रुपए और मृत्यु पर 30,000/- रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है।
एएबीवाई के 48 व्यवसाय	-	एएबीवाई जीवन जोखिम सुरक्षा उन 48 व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है, जो अनुबंध-क में सूचीबद्ध हैं।
पात्रता की मूलभूत शर्तें	-	ऐसी शर्तें, जो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत लाभ का पात्र होने के लिए किसी व्यक्त द्वारा पूरी की जानी चाहिए।
एपीबीएस	-	आधार भुगतान सेतु प्रणाली
बायो-मेट्रिक कार्ड	-	आधार कार्ड या समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा कार्ड, जो पीएमजेडीवाई के अंतर्गत बीएसबीडीए खाता खोलेने के लिए बैंक को स्वीकार्य है।

ग. स्कीम के अंतर्गत लाभ

यह स्कीम, पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने की शर्त के अधीन, किसी कारण से लाभग्राही की मृत्यु हो जाने पर भुगतानयोग्य 30,000/- रुपए की जीवन सुरक्षा उपलब्ध कराती है।

घ. पात्रता की मूलभूत शर्तें

(i) 15.08.14 से 26.01.15 तक की अवधि या भारत सरकार द्वारा आगे यथा विस्तारित किसी अतिरिक्त अवधि के दौरान, अतिरिक्त रूप से रूपे कार्ड के साथ पहली बार बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति।

(ii) वह व्यक्ति आमतौर पर परिवार का मुखिया या परिवार का कोई अर्जनकर्ता सदस्य होना चाहिए और 18 से 59 वर्ष के आयु समूह में होना चाहिए (अर्थात व्यक्ति कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, उसे 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए)। यदि परिवार का मुखिया 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का है, तो पात्रता की शर्त के अधीन ऊपर उल्लिखित आयु समूह में परिवार के दूसरे अर्जनकर्ता सदस्य को कवर किया जाएगा।

(iii) व्यक्ति के पास एक रूपे कार्ड और बैंक खाते से संबद्ध बायो-मेट्रिक कार्ड होना चाहिए या यदि यह पहले से नहीं है तो बैंक खाते से संबद्ध होने की प्रक्रिया में होना चाहिए।

(iv) यह खाता किसी लघु खाते सहित कोई भी बैंक खाता हो सकता है।

(v) कवरेज के प्रभावी होने के लिए उपर्युक्त रूपे कार्ड सदस्य की मृत्यु के समय वैध और लागू होना चाहिए।

(vi) बीमा स्कीम में परिवार में केवल एक सदस्य को कवर किया जाएगा और बहु-कार्ड/खाते रखने वाले व्यक्ति के मामले में यह लाभ केवल एक कार्ड के अंतर्गत अनुमत होगा अर्थात प्रति परिवार एक व्यक्ति, पात्रता की शर्तों के अधीन 30,000/- रुपए की एकल सुरक्षा प्राप्त करेगा।

(vii) योजना के अंतर्गत 30,000/- रुपए की बीमा सुरक्षा आरंभत: 5 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक होगी। इसके पश्चात योजना की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद बीमित व्यक्ति द्वारा प्रीमियम का भावी भुगतान जारी करने सहित इसकी निरंतरता की शर्तें उपयुक्त रूप से निर्धारित की जाएंगी।

(viii) यदि पीएमजेडीवाई खाता संयुक्त रूप से रखा गया है तो प्रथम खाताधारक अर्थात प्राथमिक खाताधारक, पात्रता की शर्तों के अधीन कवर का पात्र होगा।

घ. अपात्र श्रेणियां

(i) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) और उनके परिवार।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले किसी प्रतिष्ठान, किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाले किसी प्रतिष्ठान या केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) और उनके परिवार।

(iii) ऐसे व्यक्ति, जिनकी आयु आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत करयोग्य है या जो वार्षिक आय कर विवरणी दाखिल कर रहे हैं या जिनके मामले में आय कर से टीडीएस काटा जा रहा है और उनके परिवार।

(iv) ऐसे व्यक्ति जो आम आदमी बीमा योजना के तहत परिभषित 48 व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और उनके परिवार।

(v) अन्यथा पात्र ऐसे खाताधारक, जिनके पास इस खाते के अतिरिक्त बैंक की किसी अन्य स्कीम के कारण जीवन बीमा सुरक्षा है, को दो स्कीमों के बीच चयन करना होगा और केवल एक स्कीम से लाभ प्राप्त होगा।

(vi) ऐसे सभी व्यक्ति जो योजना के बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते।

च. स्कीम से निर्गमन

व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अर्थात उस दिन, जिसको व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है या योजना के बंद होने के दिन, इनमें से जो भी पहले हो, स्कीम से निर्गमन करेगा।

छ. दावा निपटारा प्रक्रिया

(क) खाताधारक के नामिती (नामितों)/ कानूनी वारिसों को 30,000/- रुपए की दावा धनराशि भुगतानयोग्य है। व्यक्ति को उसकी 18 वर्ष की आयु (पूरी कर ली गई) से 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक जोखिम सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी अथार्त 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी और वह उस दिन स्कीम से निर्गमन करेगा, जिस दिन वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता/ लेती है।

(ख) 30,000/- रुपए के मृत्यु दावा लाभ का निपटारा भारतीय जीवन बीमा निगम के नामजद पेंशन एवं समूह योजना (पीएंडजीएस) कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

(i) अनुबंध-ख के अनुसार दावे के कागज-पत्र संबंधित बैंक की जिला शाखा/नोडल शाखा द्वारा दावों की प्रोसेसिंग के इस उद्देश्य के लिए नामजद जीवन बीमा निगम की निकटतम पेंशन एवं समूह योजना इकाई (पीएंडजीएस इकाई) को प्रस्तुत किए जाएंगे। पीएंडजीएस इकाइयों की एक सूची अनुबंध-घ के रूप में संलग्न है।

(ii) दावे का भुगतान उस नामित को किया जाएगा, जो बैंक खाते में नामित है। नामांकन न होने की स्थिति में या नामिती पति/पत्नी, बच्चा या माता/पिता नहीं है, तो हकदारी के कानूनी साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए खातधारक के कानूनी वारिसों को जीवन बीमा निगम के विनिर्धारित फार्मेट (अनुबंध-ग1 और ग2 में दिए गए) पर क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(iii) दावे की धनराशि, नामिती (नामितों)/ कानूनी वारिसों के बैंक खाते में एपीबीएस के जरिए क्रेडिट की जाएगी अर्थात यह धनराशि आधार कार्ड संख्या से संबद्ध खाते में क्रेडिट की जाएगी।

(iv) ऐसे मामलों में, जहां दावा फार्म दावेदार द्वारा जीवन बीमा निगम के किसी कार्यालय को सीधे प्रस्तुत किया गया है तो जीवन बीमा बीमा निगम का कार्यालय इसे, संबंधित बैंक से आवश्यक सत्यापन आदि

कराने के लिए तुरंत मृतक खाताधारक के संबंधित बैंक को अग्रेषित करेगा। संबंधित बैंक शाखा, दावा फार्म, दावा प्रोसेस करने के लिए जीवन बीमा निगम की नजदीकी पीएंडजीएस इकाई को अग्रेषित करेगी।

ज. मृत्यु दावा सूचना की प्राप्ति पर बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

बैंक की संबंधित शाखा, जहां पीएमजेडीवाई बचत खाता आरंभ में खोला गया था, को भारतीय जीवन बीमा निगम के पास दावा दाखिल करना होगा। दावा दाखिल करते समय अग्रेषण बैंक शाखा इस बात की जांच करेगी कि क्या पात्रता संबंधी शर्तों के आधार पर दावा भुगतानयोग्य है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मंगाने की आवश्यकता होगी:

1. मृतक सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।

2. मृत्यु की तारीख को यथास्थिति खाताधारक की आयु निर्धारित करने के लिए मृतक के आधार कार्ड की फोटो प्रति। यदि आधार कार्ड जारी नहीं किया गया है तो आयु के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक की सत्यापित फोटो प्रति मंगवाई जा सकती है:

   (क) जन्म रजिस्टर से सार
   (ख) स्कूल प्रमाणपत्र से सार
   (ग) राशन कार्ड
   (घ) मतदाता पहचान-पत्र

   यदि मृत्यु की तारीख से पहले मृतक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उस व्यक्ति को जीवन बीमा लाभ उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए मृत्यु की तारीख को आयु महत्वपूर्ण होती है।

3. वैधता का सत्यापन और रूपे कार्ड की प्रवृत्त स्थिति।(यह जाँच की जानी चाहिए कि रुपे कार्ड अवरुद्ध है या नहीं।

4. मृतक व्यक्ति के बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड की सहायता से ''परिवार का मुखिया'' स्थिति का सत्यापन और इस बात का भी सत्यापन कि क्या वह व्यक्ति परिवार का अर्जनकर्ता सदस्य है।

5. इस बात का सत्यापन करना कि क्या पैरा 'ड.' में दी गई अपात्रता की शर्तों के अनुसार मृतक व्यक्ति अपात्र नहीं है।

6. इस बात का सत्यापन करना कि क्या मृतक व्यक्ति को उस खाते के प्रति बैंक की किसी अन्य जीवन बीमा सुरक्षा के अंतर्गत कवर किया गया है क्योंकि लाभ केवल किसी एक स्कीम के अंतर्गत ही उपलब्ध कराया जाएगा।

7. पीएमजेडीवाई के अंतर्गत संयुक्त खाताधारकों के मामले में प्रथम खाताधारक (प्राथमिक खाताधारक) को, पात्रता संबंधी शर्तों के अधीन जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

8. विधिवत् भरा हुआ दावा फार्म व डिस्चार्ज रसीद (अनुबंध-ख में दिए गए अनुसार):

दावा फार्म का भाग क नामिती/ कानूनी वारिस/ दावेदार द्वारा पूरा भरना होगा। बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी को भाग 'ख' अर्थात **जीवन बीमा निगम/ पीएमजेडीवाई/ दावा/ बीएस** भरना होगा। अधिकारी को भाग 'ग' अर्थात **जीवन बीमा निगम/पीएमजेडीवाई/ दावा/डॉ.** पर दावेदार के हस्ताक्षर का साक्ष्य देना होगा। दावा फार्म पर समुचित स्थानों पर बैंक की मुहर लगाई जानी चाहिए। नामांकन न होने की स्थिति में या यदि नामिती की मृत्यु बीमित सदस्य से पहले हो जाती है या यदि नामिती पति/पत्नी, बच्चा या माता/पिता नहीं है तो खाताधारक के कानूनी वारिसों को हकदारी के कानूनी साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए जीवन बीमा निगम के विनिर्धारित फार्मेट (अनुबंध-ग1 और अनुबंध-ग2 में दिए गए) पर क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

9. पूरा भरा हुआ दावा फार्म (भाग क, ख और ग), निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ-साथ जीवन बीमा निगम की नजदीकी पीएंडजीएस इकाई को अग्रेषित करना होगा:

(क) मृतक सदस्य के मृत्यु प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति।
(ख) मृतक के आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति।
(ग) दावेदान के आधार कार्ड की सत्यापित फोटो प्रति।

उल्लिखित सभी दस्तावेज़ों के साथ दावा फार्म प्राप्त हो जाने पर पीएंडजीएस इकाई, पात्रता की शर्त के अधीन मृत्यु दावे से प्राप्त धनराशि आधार संबद्ध बैंक खाते में क्रेडिट करके नामिती/कानूनी वारिसों के पक्ष में दावे का निपटारा करेगी।

झ. दावा सूचना की प्राप्ति पर जीवन बीमा निगम द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

बैंकों से दावा फार्म प्राप्त होने पर, आवश्यक आवक प्रक्रिया करने के पश्चात पीएंडजीएस इकाई का उपयोगकर्ता निम्नलिखित कदम उठाएगा:

1. इस बात का सत्यापन करेगा कि दावा फार्म हर प्रकार से पूरे भरे हुए हैं और मृतक ने बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर पात्रता संबंधी मापदंड पूरा कर लिया है।

2. यदि दावा अन्यथा भुगतानयोग्य है तो उपयोगकर्ता पीएमजेडीवाई (प्रधान मंत्री जन धन योजना) के दावा मॉड्यूल में लॉग-इन करेगा। प्रसांगिक आंकड़ों की प्रविष्टि मॉड्यूल में की जाएगी।

3. दो पहलुओं की जांच करने के लिए मॉड्यूल, सिस्टम के अंदर प्रश्नों को सृजित करेगा:

(क) क्या उसी व्यक्ति पर एक से अधिक अवसर पर दावे के भुगतान से बचने की दृष्टि से उसी व्यक्ति पर पहले दावे का भुगतान कर दिया गया है।
(ख) क्या मृतक व्यक्ति आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत भी कवर किया गया है।

4. उपरोक्त दो आंकड़ा आधारों से आउटपुट सृजित करेगी, जो या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक।

5. यदि आउटपुट सकारात्मक है तो उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापन के लिए मॉड्यूल द्वारा रिकार्डों की सूची सृजित की जाएगी। मैनुअल आधार पर विधिवत् सत्यापन के पश्चात यदि यह सुनिश्चित किया गया है कि उसी व्यक्ति पर दावे का भुगतान पहले नहीं किया गया है या मृतक व्यक्ति एएबीवाई के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है तो इसे पर्यवेक्षक द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। पर्यवेक्षक द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात उपयोगकर्ता दावे के निपटाने के लिए अगली कार्यवाही कर सकता है।

6. उपर्युक्त प्रक्रिया, पीएमजेडीवाई और संभव सीमा तक एएबीवाई के अंतर्गत डुप्लीकेट दावे का भुगतान न किया जाना सुनिश्चित करेगी। डुप्लीकेशन समाप्त करने के उद्देश्य के लिए भी मृतक व्यक्ति और दावेदार के आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा।

7. यदि आउटपुट नकारात्मक है तो मॉड्यूल, उपयोगकर्ता को इस बात की अनुमति देगा कि वह दावे के निपटाने की कार्यवाही करे।

दावे के भुगतान के रजिस्टर और रिकार्ड उसी प्रकार रखे जाएंगे जैसे एएबीवाई दावों के लिए रजिस्टरों के मामले में रखे जाते हैं। चूंकि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत डीएबी और विकलांगता लाभ भुगतानयोग्य नहीं हैं, इसलिए सुसंगत कॉलम छोड़ दिए जाएंगे।

ञ. दावा फार्म www.licindia.in, www.iba.org.in, http://financialservices.gov.in, www.nic.in, www.pmjdy.gov.in, से डाउनलोड किया जा सकता है।

ट. अनुलग्नों की सूची

अनुबंध क - आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत 48 व्यवसायों की सूची

अनुबंध ख - जीवन बीमा निगम का दावा फार्म व डिस्चार्ज रसीद

अनुबंध ग1 - हकदारी के कानूनी साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए आवेदनपत्र का फार्म

अनुबंध ग2 - हकदारी के कानूनी साक्ष्य से छुटकारा पाने के लिए जीवन बीमा निगम के क्षतिपूर्ति बंध-पत्र का फार्मेट

अनुबंध घ - दावा फार्मों के प्रस्तुतीकरण के लिए पीएंडजीएस इकाइयों की सूची